

पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता में  
2021 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.4918

=====

1. मेसर्स अशोक दास, विलेज मिल रोड, पोस्ट-फलाकाटा, जिला-अलीपुरद्वार (पश्चिम बंगाल) 735211 इसके मालिक अशोक दास के माध्यम से, आयु लगभग 56 वर्ष, पुरुष, पुत्र - श्री हरेंद्र कुमार दास, निवास हटखोला, फलाकाटा, जलपाईगुडी, पश्चिम बंगाल 735211
2. सुनील कुमार गुप्ता, पुत्र-श्री जियुन बंधन निवासी 16, काशी एन्क्लेव कॉलोनी, पहाड़िया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221007.

..... याचिकाकर्ताओं

बनाम

1. सीमा शुल्क आयुक्त (पूर्व) के माध्यम से भारत संघ, पटना 5 वीं मंजिल, केंद्रीय राजस्व भवन, बीर चंद पटेल पथ, पटना-800001
2. सीमा शुल्क के संयुक्त आयुक्त (पूर्व), पटना 5 वीं मंजिल, केंद्रीय राजस्व भवन, बीर चंद पटेल पथ, पटना-800001
3. उप/सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क (पूर्व) प्रभाग, मुजफ्फरपुर दूसरी मंजिल, सीमा शुल्क भवन, इमलीचट्टी, मुजफ्फरपुर-842001
4. अधीक्षक (पूर्व), सीमा शुल्क (पूर्व) प्रभाग, मुजफ्फरपुर, दूसरी मंजिल, सीमा शुल्क भवन, इमलीचट्टी, मुजफ्फरपुर 842001
5. इंस्पेक्टर (पूर्व), सीमा शुल्क (पूर्व) प्रभाग, मुजफ्फरपुर दूसरी मंजिल, सीमा शुल्क भवन, इमलीचट्टी, मुजफ्फरपुर 842001

..... प्रतिवादी

=====

**उपस्थिति :**

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री अश्विनी कुमार, अधिवक्ता  
 श्री राज कुमार, अधिवक्ता  
 श्री सुमित कुमार, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री डॉ. के. एन. सिंह, ए.एस.जी.  
 श्री अंशुमन सिंह, सीनियर एससी  
 श्री शिवादित्य धारी सिन्हा, अधिवक्ता

=====

**अधिनियम/धाराएं/नियम:**

- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110, 110 ए, 123, 124
- • 1962 के अधिनियम की धाराएं 7, 11, 46 और 47; विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3(2)
- • केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

**संदर्भित मामले:**

- मेसर्स रमेश कुमार बैद एंड संस (एचयूएफ) और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 2020 (3) पीएलजेआर 98 में रिपोर्ट किए गए
- कृष्णा काली ट्रेडर्स और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 2024 एससीसी ऑनलाइन पैट 880 में रिपोर्ट किए गए
- सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), पटना बनाम श्री. राजेंद्र सेठिया ने विविध अपील संख्या 528/2022 में

- संतोष कुमार मुरारका बनाम भारत संघ और अन्य ने सीडब्ल्यूजेसी संख्या 5427/2022 में
- असम सुपारी ट्रेडर्स, अपने अधिकृत प्रतिनिधि सह पावर ऑफ अटॉर्नी धारक अनिल कुमार यादव बनाम भारत संघ के माध्यम से सचिव, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग और अन्य ने 2024 एससीसी ऑनलाइन पैट 6401 में रिपोर्ट की
- मैरी पुष्पम बनाम तेलवी कुरुसुमरी और अन्य ने (2024) 3 एससीसी 224 में रिपोर्ट की
- सहायक कलेक्टर सीमा शुल्क और अधीक्षक, निवारक सेवा सीमा शुल्क, कलकत्ता और अन्य बनाम चरण दास मल्होत्रा ने 1971 (1) एससीसी 697 में रिपोर्ट की
- पुखराज बनाम डी.आर. कोहली ने एआईआर 1962 एससी 1559 में रिपोर्ट की
- बीकानेर-असम रोड लाइन्स इंडिया लिमिटेड और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य ने 2000 (1) पीएलजेआर 136 में रिपोर्ट की
- गुजरात राज्य बनाम मोहनलाल ने एआईआर 1987 एससी 1321 में रिपोर्ट की
- अंगौ गोलमेल बनाम विजोवोली चखासांग ने 1996 (81) ई.एल.टी. 440 (पटना) में रिपोर्ट की
- याकूब अब्दुल रजाक मेमन बनाम सीबीआई, बॉम्बे के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य ने (2013) 13 एससीसी 1 में रिपोर्ट की
- वर्ल्डलाइन ट्रेडेक्स पी. लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क आयुक्त और अन्य ने (2016) 40 जीएसटीआर 141 में रिपोर्ट की
- विशेष निदेशक बनाम मोहम्मद। गुलाम गौस ने एआईआर 2004 एससी 1467 में रिपोर्ट की
- ओम साई ट्रेडिंग कंपनी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य ने 2019 एससीसी ऑनलाइन पैट 2262 में रिपोर्ट की

- शिव नाथ सिंह बनाम सीआईटी ने (1972) 3 एससीसी 234 में रिपोर्ट की
- एस नारायणप्पा और अन्य बनाम आयकर आयुक्त, बेंगलोर ने एआईआर 1967 एससी 523 में रिपोर्ट की

रिट याचिका -तलाशी और जब्ती ज़ापन तथा इससे संबंधित सभी कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर की गई, जिसके तहत बड़ी मात्रा में सुपारी और एक ट्रक जब्त किया गया था।

निर्णय: इस मामले में विचारणीय मुख्य प्रश्न यह है कि क्या जब्ती आदेश/जब्ती ज़ापन में 1962 के अधिनियम की धारा 110(1) के तहत निहित "विश्वास करने का कारण" की पूर्व शर्त पूरी होती है या नहीं। (पैरा 18)

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के एंटी-स्मगलिंग यूनिट ने दिनांक 08 फरवरी, 2017 को निर्देश संख्या 01/2017 जारी किया था, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जब भी किसी वस्तु को जब्त किया जाए, तो पंचनामा के अतिरिक्त, संबंधित अधिकारी को एक उपयुक्त आदेश (जब्ती ज़ापन/आदेश आदि) पारित करना आवश्यक होगा, जिसमें यह स्पष्ट रूप से दर्शाया जाए कि क्यों उसे विश्वास है कि वस्तु जब्ती योग्य है। (पैरा 31, 32)

जब्ती अधिकारी ने "विश्वास करने के कारण" को रिकॉर्ड नहीं किया है। (पैरा 31)

इसलिए, जब्ती ज़ापन को रद्द किया जाता है। याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस का उत्तर देने का अधिकार रहेगा। (पैरा 44)

=====

**पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश**

=====

**कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद**

**और**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह**

**कैव निर्णय**

**(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद)**

**तारीख:19-02-2025**

निम्नलिखित राहतों के लिए इस रिट आवेदन को दायर किया गया है:.

“(i) दिनांक 26.11.2019 के जब्ती आदेश/जब्ती ज्ञापन को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण पत्र की प्रकृति में एक रिट जारी करना जिसके तहत और जहां 19,188 किलोग्राम सुपारी (सुपारी) जिसका मूल्यांकन रु.38,37,600/- पर किया गया है, और पंजीकरण संख्या यू. पी. 65 सी. टी./0573 वाला ट्रक, जिसका मूल्यांकन रु.12,00,000/- पर किया गया था, को 26.11.2019 को बिना किसी 'विश्वास करने का कारण' के जब्त कर लिया गया कि विवादित माल की तस्करी सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए नेपाल से की गई है और यह विश्वास करने का कोई 'कारण' नहीं है कि विवादित माल और वाहन उक्त अधिनियम के तहत जब्त किए जाने और उसी के

अनुसरण में सभी परिणामी कार्यवाही के लिए  
उत्तरदायी हैं; और/या

(ii) सी. नं. VIII (10)

13/सी.यू.एस./एस.ई.आई.जेड/एम.यू.जेड/ 2019-  
20/961 दिनांक 19.11.2020 वाले कारण दर्शाओ  
नोटिस को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण-पत्र की  
प्रकृति में एक रिट जारी करना जिसे  
सहायक/सीमा शुल्क उपायुक्त (पूर्व), मुजफ्फरपुर  
डिवीजन द्वारा पूर्व-कल्पित धारणा और विषय वस्तु  
पूर्वाग्रह के साथ जारी किया गया, जिससे  
याचिकाकर्ता (ओं) के बचाव के लिए सही और  
निष्पक्ष सुनवाई की कोई गुंजाइश नहीं बची;  
और/या

(iii) उचित प्रकृति का आदेश/निर्देश/रिट जारी  
करते हुए माल के अस्थायी रिहाई की घोषणा  
करना अर्थात्, 19,188 किलोग्राम सुपारी जिसका  
मूल्यांकन रु. 38,37,600/- और पंजीकरण संख्या  
यू. पी. 65 सी. टी./0573 वाले वाहन को अस्थायी  
रूप से रिहा करना जिसका मूल्यांकन रु.  
12,00,000 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की  
धारा 110 ए के तहत के अनुसार किया गया, को  
उक्त अधिनियम की धारा 110 (2) के संदर्भ में,  
पूर्ण वापसी के रूप में किया जाए, क्योंकि सीमा  
शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 124 के तहत  
ऐसे सामान और वाहन को जब्त करने के लिए

कोई नोटिस जब्त करने के छह महीने के भीतर,  
 सभी परिणामी राहत (ओं) के साथ जारी नहीं  
 किया गया था; और/या  
 (iv) कोई अन्य राहत या राहतें प्रदान करना  
 जिसके लिए याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और  
 परिस्थितियों में हकदार हैं।”

### मामले के संक्षिप्त तथ्य

2. याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि याचिकाकर्ता सं 1 देश के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में उगाए जाने वाले सुपारी (सुपारी) के व्यापार में लगा हुआ है और याचिकाकर्ता नं 2 उक्त माल के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहन का मालिक है। 26.11.2019 को, जब याचिकाकर्ता सं 2 के स्वामित्व वाला पंजीकरण संख्या यूपी 65 सीटी/0573 वाला वाहन याचिकाकर्ता सं. 1 के सुपारी के परिवहन में लगा हुआ था और पश्चिम बंगाल के फालाकाटा से महाराष्ट्र के नागपुर जा रहा था, जिसे एक मेसर्स जयश्री एंटरप्राइजेज, मसकनाथ, हाउस नंबर 14, इटवारी, नागपुर (महाराष्ट्र) को भेजा गया, इसे सीमा शुल्क (प्रीव) डिवीजन, मुजफ्फरपुर के अधिकारियों द्वारा सीमा शुल्क आयुक्त (प्रीव), पटना के कार्यालय के तहत मैथी टोल प्लाजा, मुजफ्फरपुर के पास दिनांक 26.11.2019 लगभग 17:00 बजे हिरासत में लिया गया था और सीमा शुल्क उप/सहायक आयुक्त (प्रीव), मुजफ्फरपुर डिवीजन के कार्यालय में 26.11.2019 को लगभग 22:00 बजे जब्त किया गया। माल का मूल्य रु. 38,37,000/- और ट्रक का मूल्य रु.12,00,000/- पर आंका गया है।

### याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रस्तुतियाँ

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री अश्विनी कुमार ने दिनांक 26.11.2019 के जब्ती ज्ञापन (अनुलग्नक 'पी/1') को चुनौती दी है। यह प्रस्तुत किया गया है कि जब्ती ज्ञापन में माल की उत्पत्ति के देश को "तीसरे पक्ष" के रूप में दर्ज किया गया है, लेकिन इसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि माल किस देश से आया है या किस आधार पर ऐसी दलील दी गई है। यह प्रस्तुत किया गया है कि जब्ती ज्ञापन में सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे आगे '1962 का अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 110 के तहत परिकल्पित "विश्वास करने के कारण" शामिल नहीं हैं। प्रस्तुत किया जाता है कि जब्ती ज्ञापन में "1962 के अधिनियम की धारा 7, 11, 46 और 47; विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन अधिनियम, 1992) की धारा 3(2) और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, 1962 के अधिनियम की धारा 110 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या 9/96-सीयूएस (एनटी) दिनांक 22.01.1996 का उल्लेख है।" उक्त अधिसूचना नेपाल से उन वस्तुओं के आयात पर रोक लगाती है जिन्हें भारत के अलावा किसी अन्य देश से नेपाल में निर्यात किया जाता है।

4. विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि जब्त किए गए सामान के साथ केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 (इसके बाद 'जी. एस. टी. अधिनियम, 2017' के रूप में संदर्भित) के अनुसार जारी किए गए चालान, ई-वे बिल थे। ई-वे बिल और चालान में खरीदार और माल के प्राप्तकर्ता का नाम विधिवत दिखाया गया है। चालान में प्राप्तकर्ता के साथ-साथ प्रेषक के जी. एस. टी. पंजीकरण का उल्लेख है। चालान और ई-वे बिल की प्रति को अनुलग्नक पी/2 (श्रृंखला) के रूप में दर्ज किया गया है। यह उनका निवेदन है कि याचिकाकर्ता सं.1 ने अलीपुरद्वार विनियमित विपणन समिति के अपेक्षित शुल्क का भुगतान भी किया था, जो रसीद दिनांक 25.11.2019 (अनुलग्नक 'पी/3')



श्रृंखला) के माध्यम से किया गया था, जिसने स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि जब्त किए गए माल की उत्पत्ति भारत में हुई थी और यह मानने के लिए कुछ भी नहीं था कि माल किसी भी तरह से 1962 के अधिनियम का उल्लंघन करते हुए नेपाल से भारत में आयात किया गया था।

5. यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब्त किए गए वाहन को सीमा शुल्क के संयुक्त आयुक्त (पूर्व), पटना के द्वारा दिनांक 20.02.2020 के आदेश अनुसार अस्थायी रूप से रिहा किया गया था, लेकिन जब्त किए गए सामान को 1962 के अधिनियम की धारा 110-ए के संदर्भ में माल की जब्ती की तारीख से छह महीने की अवधि के बाद 16.06.2020 के आदेश के अनुसार रिहा किया गया था।

6. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील की दलीलों में से एक यह है कि 19.11.2020 को सहायक/सीमा शुल्क उपायुक्त (प्रीव), मुजफ्फरपुर के द्वारा जारी कारण बताएँ नोटिस 1962 के अधिनियम की धारा 124 के खंड (ए) के तहत कारण बताएँ नोटिस जारी करने के लिए विस्तारित समय सीमा के भीतर है। यह उनका निवेदन है कि सीमा शुल्क आयुक्त (पूर्व), पटना ने 15.05.2020 पर एक आदेश पारित किया जिसके द्वारा उन्होंने कारण बताएँ नोटिस जारी करने की समय सीमा बढ़ा दी और फिर से 14.08.2020 के आदेश के माध्यम से, उसी आधार पर समय को और तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया। 1962 के अधिनियम की धारा 124 के खंड (ए) के तहत कारण बताएँ नोटिस जारी करने के लिए समय सीमा बढ़ाने पर विचार करते हुए, प्रतिवादी संख्या 1 ने याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया है।

7. विद्वान वकील ने मैसर्स रमेश कुमार बैद एंड संस (एच.यू.एफ.) और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य 2020 (3) पी. एल. जे. आर. 98 में रिपोर्ट किए गए मामले में इस न्यायालय की माननीय समन्वय पीठ के फैसले पर भरोसा किया है।

विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान समन्वय पीठ के एक अन्य निर्णय कृष्ण काली ट्रेडर्स और एक अन्य बनाम भारत संघ और अन्य जिसे 2024 एस. सी. सी. ऑनलाइन पैट 880 में रिपोर्ट किए गए मामले में इस न्यायालय ने विद्वत समन्वय पीठ ने जब्ती ज़ापन में एक समान स्थिति की जांच करते हुए कहा कि 'पंचनामा' को जब्ती ज़ापन में नहीं पढ़ा जा सकता है और असम सुपारी ट्रेडर्स के मामले में फैसले में यह विचार लिया गया है कि 'पंचनामा' जब्ती ज़ापन के साथ नहीं पढ़ा जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान समन्वय पीठ ने कृष्ण काली ट्रेडर्स के मामले में निर्णय लेते समय समन्वय पीठ के 2022 की विविध अपील संख्या 528 में सीमा शुल्क आयुक्त (निवारक), पटना बनाम एस. राजेंद्र सेठिया और 2022 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 5427 में संतोष कुमार मुरारका बनाम भारत संघ और अन्य के फैसले पर ध्यान दिया है।

8. कृष्णा काली ट्रेडर्स मामले में, इसने माना है कि असम सुपारी ट्रेडर्स, अपने अधिकृत प्रतिनिधि सह पावर ऑफ अटॉर्नी धारक अनिल कुमार यादव बनाम भारत संघ के माध्यम से सचिव, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग और अन्य (2024 एससीसी ऑनलाइन पैट 6401 में रिपोर्ट किए गए) मैरी पुष्पम बनाम तेलवी कुरुसुमरी और अन्य (2024) 3 एससीसी 224 में रिपोर्ट किए गए मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में बाध्यकारी होगा।

9. विद्वान अधिवक्ता ने सहायक कलेक्टर सीमा शुल्क एवं अधीक्षक, निवारक सेवा सीमा शुल्क, कलकत्ता एवं अन्य बनाम चरण दास मल्होत्रा के मामले में 1971 (1) एससीसी 697 में दिए गए निर्णय पर भी भरोसा किया है, जिसकी एक प्रति रिट याचिका के साथ अनुलग्नक '6' के रूप में संलग्न है। इस न्यायालय का ध्यान उक्त निर्णय के पैरा '15' की ओर आकृष्ट किया गया है, जिसमें प्रस्तुत किया गया है कि पटना उच्च न्यायालय के सीडब्ल्यूजेसी संख्या 4918/2021 दिनांक 19-02-2025

8/36 के मामले में अधिनियम 1962 की धारा 110 की उपधारा (2) के अंतर्गत समय विस्तार के संबंध में सक्षम प्राधिकारी की ओर से याचिकाकर्ताओं को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य था। दलील यह है कि समय विस्तार का निर्णय अर्ध-न्यायिक निर्णय की प्रकृति का होगा और प्राधिकरण के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह समय विस्तार के आदेश से प्रभावित होने वाले पक्ष को उचित अवसर देकर निष्पक्ष कार्रवाई के सिद्धांत का पालन करे।

### उत्तरदाताओं की ओर से प्रस्तुतियाँ

10. दूसरी ओर, भारत संघ के विद्वान एएसजी डॉ. कृष्ण सिंह ने कहा कि अधिनियम 1962 की धारा 110(1) के अंतर्गत आने वाले "विश्वास करने के कारण" शब्द को सीधे-सीधे सूत्र में नहीं रखा जा सकता। उचित अधिकारी को माल की जब्ती के समय यथासंभव 'विश्वास करने का कारण' बनाना होगा, लेकिन जिन परिस्थितियों में माल जब्त किया गया है, वे हमेशा एक कारण होंगे, जिस पर विचार किया जाना चाहिए। यदि माल सड़क के किनारे जब्त किया जा रहा है और उचित अधिकारी के लिए "विश्वास करने का कारण" दर्ज करना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है, तो यह तथ्य कि उचित अधिकारी ने अधिनियम 1962 की संबंधित धाराओं का उल्लेख किया है, जिनका किसी विशेष मामले में उल्लंघन किया गया है, पर्याप्त होगा।

11. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने श्री राजेंद्र सेठिया (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के विद्वान समन्वय पीठ के निर्णय पर भरोसा किया है। इस न्यायालय का ध्यान निर्णय के पैरा '13' की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें विद्वान समन्वय पीठ ने उक्त मामले में माना है कि 24.07.2017 का जब्ती ज्ञापन जो डीआरआई, क्षेत्रीय इकाई, पटना द्वारा तैयार किया गया था, स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 7, 46 और 47 का उल्लंघन दर्शाता है, जो विश्वास करने का कारण है। विद्वान समन्वय पीठ ने

1962 के अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किया और माना कि कथित उल्लंघनों से विश्वास करने का कारण बहुत स्पष्ट है और देश के बाहर से माल मंगाए जाने को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है, जो कि केवल दृश्य निरीक्षण से स्पष्ट था और स्विस् चिह्नों की उपस्थिति एक आम आदमी को भी स्पष्ट थी, जिसे इस मामले में कोई विशेषज्ञता नहीं है। **श्री राजेंद्र सेठिया** (उपरोक्त) मामले में, सोने की छड़ों पर स्विस् चिह्नों वाली सोने की छड़ें उचित अधिकारी द्वारा जब्त की गई थीं और यही मुद्दा माननीय खंडपीठ के समक्ष था।

12. विद्वान वरिष्ठ वकील ने अपनी दलीलों का समर्थन करने के लिए **संतोष कुमार मुरारका** (उपरोक्त) (पैराग्राफ '7' से '9') के मामले में दिए गए फैसले पर भरोसा किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उसी विद्वत समन्वय पीठ, जिसने **कृष्ण काली व्यापारियों** (उपरोक्त) के मामले का फैसला किया है, ने यह विचार रखा है कि सौंपे जाने वाले कारणों के संबंध में, यह पर्याप्त होगा यदि कानून के प्रावधान का हवाला दिया जाए, जिसका कथित रूप से उल्लंघन किया गया है।

13. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने **पुखराज बनाम डी.आर. कोहली** के मामले में **एआईआर 1962 एससी 1559 (पैरा 8)** में दिए गए फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि न्यायालय इस सवाल पर विचार नहीं करेगा कि क्या जब्ती करने वाले अधिकारी के मन में यह विश्वास उचित था या नहीं। केवल इस बात पर विचार किया जा सकता है कि क्या ऐसा कोई आधार है जो प्रथम दृष्टया उक्त उचित विश्वास को संतुष्ट करता है। **पुखराज** (उपरोक्त) के मामले में यह माना गया था कि बड़ी मात्रा में सोना ले जाने वाला और बिना टिकट के यात्रा करते हुए पाया गया व्यक्ति अधिकारी के मन में यह उचित विश्वास पैदा कर सकता है कि सोना तस्करी करके लाया गया था। **बीकानेर-असम रोड लाइन्स इंडिया लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य** के मामले में

2000 (1) पीएलजेआर 136 (पैराग्राफ '10', '12', '15' एवं '16') के निर्णय पर आगे भरोसा करते हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उक्त मामले में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने 1962 के अधिनियम की धारा 110 पर चर्चा की है। उक्त निर्णय के पैराग्राफ '12' में गुजरात राज्य बनाम मोहनलाल के मामले में एआईआर 1987 एससी 1321 में दिए गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि इस प्रश्न पर विचार करते समय कि संबंधित अधिकारी को यह उचित विश्वास है या नहीं कि माल तस्करी का है, न्यायालय अपीलीय फोरम के रूप में नहीं बैठ सकता। यह प्राधिकारी पर निर्भर करता है कि वह प्रथम दृष्टया विश्वास को उचित ठहराने के आधारों के बारे में संतुष्ट हो और एक बार जब उचित विश्वास को उचित ठहराने के लिए प्रथम दृष्टया सामग्री मौजूद हो, तो अदालत को उक्त तथ्य को स्वीकार करना होगा। 1996 (81) ई.एल.टी. 440 (पटना) में रिपोर्ट किए गए अंगौ गोलमेल बनाम विज्ञोवोली चखासांग, के मामले में इस न्यायालय के डिवीजन बेंच के फैसले उनके आधिपत्य ने मोहनलाल (उपरोक्त) में दिए गए फैसले पर भरोसा किया है और पटना उच्च न्यायालय सीडब्ल्यूजेसी संख्या 4918/2021 दिनांक 19-02-2025 11/36 उस मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद, वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उस मामले में सामग्री एक उचित विश्वास बनाने के लिए पर्याप्त नहीं थी कि माल अधिनियम के तहत जब्त करने योग्य था।

14. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने याकूब अब्दुल रजाक मेमन बनाम महाराष्ट्र राज्य सीबीआई के माध्यम से, बॉम्बे (2013) 13 एससीसी 1 में रिपोर्ट किए गए मामले में फैसले पर भरोसा किया है। यह उनका आगे का तर्क है कि सीमा शुल्क विभाग का परिपत्र जो वर्ल्डलाइन ट्रेडेक्स पी. लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क आयुक्त और अन्य (2016) 40 जीएसटीआर 141 में रिपोर्ट किए गए मामले में माननीय दिल्ली

उच्च न्यायालय के फैसले के बाद जारी किया गया है, स्पष्ट रूप से "पंचनामा के अतिरिक्त" की बात करता है, इसलिए, अधिकारी की ओर से विश्वास करने का कारण जानने के लिए पंचनामा और जब्ती को एक साथ पढ़ना अनिवार्य होगा। यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा 110 के तहत विश्वास करने का कारण उचित अधिकारी द्वारा बनाया जाना है और इसका मतलब यह नहीं है कि न्यायालय उचित अधिकारी के विश्वास पर अपनी राय बदल दे।

15. अंत में यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान में, याचिकाकर्ता ने केवल कारण बताओ नोटिस चरण में इस न्यायालय का रुख किया है। उसके लिए हमेशा कारण बताना और न्यायाधिकरण के ध्यान में संपूर्ण तथ्य और परिस्थितियाँ लाना खुला है।

16. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने विशेष निदेशक बनाम मोहम्मद गुलाम गौस के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए एआईआर 2004 एससी 1467 में रिपोर्ट की गई प्रस्तुत किया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि "... जब तक उच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता है कि कारण बताओ नोटिस कानून की नजर में पूरी तरह से गैर-कानूनी है और तथ्यों की जांच करने के लिए प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र की कमी है, तब तक रिट याचिकाओं पर केवल पूछने के लिए और नियमित रूप से विचार नहीं किया जाना चाहिए और रिट याचिकाकर्ता को हमेशा कारण बताओ नोटिस का जवाब देने और रिट याचिका में उजागर सभी रुख अपनाने का निर्देश दिया जाना चाहिए..."

17. अंत में यह प्रस्तुत किया जाता है कि धारा 110 की उप-धारा (2) के तहत परिकल्पित अवधि के विस्तार के संबंध में, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील का प्रस्तुतीकरण कानून की गलत धारणा पर आधारित प्रतीत होता है। उक्त प्रावधान

केवल नोटिस जारी करने के उद्देश्य से छह महीने की सीमा की अवधि प्रदान करता है और नोटिस जारी न करने के परिणाम यह होंगे कि जब्त किए गए माल को वापस कर दिया जाएगा। उक्त प्रावधान की व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है कि यह कहा जा सके कि छह महीने की अवधि समाप्त होने के बाद याचिकाकर्ता को कोई कारणदर्शक नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है।

### विचारणीय

18. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है। वर्तमान मामले में विचारणीय मुख्य प्रश्न यह है कि क्या पटना उच्च न्यायालय के सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 4918/2021 दिनांक 19-02-2025 13/36 26.11.2019 का जब्ती आदेश/जब्ती ज्ञापन, अधिनियम 1962 की धारा 110(1) के तहत परिकल्पित पूर्व शर्त अर्थात् “विश्वास करने का कारण” को संतुष्ट करता है।

19. 1962 के अधिनियम की धारा 110(1) निम्नानुसार हैः.

“110. माल, दस्तावेजों और वस्तुओं की जब्ती।- (1) यदि उचित अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के तहत कोई भी माल जब्त करने योग्य है, तो वह ऐसे सामान को जब्त कर सकता है:

1[बशर्ते कि जहां किसी भी कारण से जब्त किए गए माल को हटाना, परिवहन करना, संग्रहीत करना या भौतिक रूप से कब्जा करना व्यवहार्य नहीं है, वहां उचित अधिकारी जब्त किए गए माल की अभिरक्षा माल के मालिक या लाभकारी मालिक या किसी ऐसे व्यक्ति को दे सकता है जो खुद को आयातक मानता है, या किसी अन्य व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा से ऐसा माल जब्त किया गया है, ऐसे व्यक्ति द्वारा एक वचन के निष्पादन पर कि

वह ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुमति के अलावा माल को नहीं हटाएगा, उससे अलग नहीं होगा या अन्यथा सौदा नहीं करेगा:

बशर्ते कि जहां ऐसे किसी माल को जब्त करना व्यवहार्य नहीं है, वहां उचित अधिकारी माल के मालिक या लाभकारी मालिक या खुद को आयातक मानने वाले किसी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से ऐसा माल पाया गया है, पर यह निर्देश देते हुए आदेश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुमति के अलावा ऐसे माल को नहीं हटाएगा, उसके साथ भाग नहीं लेगा या अन्यथा सौदा नहीं करेगा।]”

20. धारा 110 की उप-धारा (1) को खाली पढ़ने पर, यह स्पष्ट है कि उचित अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण बनाना चाहिए कि जिन वस्तुओं को वह जब्त करना चाहता है, वे जब्त किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं। 1962 के अधिनियम के अध्याय XIV में अनुचित रूप से आयातित वस्तुओं को जब्त करने, अनुचित रूप से निर्यात किए जाने का प्रयास किए गए सामान आदि को, परिवहन को जब्त करने, तस्करी किए गए सामान को छिपाने के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान को जब्त करने, जब्त करने और दंड का निर्णय लेने और निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रावधान शामिल हैं। 1962 के अधिनियम की धारा 123 कुछ मामलों में साबित करने का भार की बात करती है और धारा 124 माल आदि की जब्ती से पहले कारण दर्शाओ नोटिस जारी करने का प्रावधान करती है। 1962 के अधिनियम की धारा 123 और धारा 124 को तैयार संदर्भ के लिए यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है:

**“धारा 123 कुछ मामलों में साबित करने का भार. -** <sup>1</sup>[(1)

जहां कोई माल जिस पर यह धारा लागू होती है, इस अधिनियम के तहत इस उचित विश्वास में जब्त किया जाता है कि वे तस्करी किए गए माल हैं, तो यह साबित करने का भार कि वे तस्करी किए गए माल नहीं हैं निम्नलिखित पर होगा -



(क) ऐसे मामले में जहां ऐसी जब्ती किसी व्यक्ति के कब्जे से की जाती है, -

(i) उस व्यक्ति पर जिसके कब्जे से माल जब्त किया गया था; और

(ii) यदि उस व्यक्ति के अलावा कोई अन्य व्यक्ति, जिसके कब्जे से माल जब्त किया गया था, उसके मालिक होने का दावा करता है, तो ऐसे अन्य व्यक्ति पर भी;

(ख) किसी अन्य मामले में, उस व्यक्ति पर, यदि कोई हो, जो इस प्रकार जब्त किए गए माल का मालिक होने का दावा करता है।]

(2) यह धारा सोने, <sup>2</sup>(और उसके विनिर्माण) घड़ियों और वस्तुओं के किसी भी अन्य वर्ग पर लागू होगी जिसे केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है।

**धारा 124. माल आदि को जब्त करने से पहले कारण बताएँ नोटिस जारी करना-** इस अध्याय के तहत कोई भी माल जब्त करने का कोई आदेश या किसी व्यक्ति पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, जब तक कि माल का मालिक या ऐसा व्यक्ति -

(क) को एक नोटिस दिया जाता है <sup>3</sup>[सीमा शुल्क अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ लिखित रूप से जो <sup>4</sup>[सीमा शुल्क के एक सहायक आयुक्त] के रैंक से कम नहीं है], उसे उन आधारों के बारे में सूचित करता है जिन से माल को जब्त करने या जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) उसे ऐसे उचित समय के भीतर लिखित रूप में अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाता है जिसे उल्लिखित जब्ती या जुर्माना लगाने के आधारों के खिलाफ सूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है; और

(ग) मामले में सुनवाई का उचित अवसर दिया जाता है:

बशर्ते कि खंड (क) में निर्दिष्ट सूचना और खंड (ख) में निर्दिष्ट अभ्यावेदन, संबंधित व्यक्ति के अनुरोध पर मौखिक हो सकता है:

‘[बशर्ते कि इस धारा के तहत नोटिस जारी किए जाने के बावजूद, उचित अधिकारी ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी तरीके से पूरक नोटिस जारी कर सकता है जो निर्धारित की जाए।]’

21. "विश्वास करने के कारण" शब्दों के समूह पर इस न्यायालय की विद्वान समन्वय पीठों द्वारा विचार किया गया है। असम सुपारी ट्रेडर्स (सुप्रा) के मामले में, इस न्यायालय की एक विद्वत समन्वय पीठ दिनांकित 02.04.2024 के जब्ती ज्ञापन की जांच कर रही थी जिसे सीमा शुल्क निरीक्षक/जब्त अधिकारी, किशनगंज सर्कल द्वारा जारी किया गया जो निम्नानुसार है:

**"6. जब्त करने का कारण:** सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7, 11, 46 और 47 के साथ पठित विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 (2) का उल्लंघन।"

22. विद्वान समन्वय पीठ ने माना कि जब्ती का कारण यह बताया गया है कि उपरोक्त वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। किस तरह से, यह जब्ती ज्ञापन में नहीं बताया गया है। न्यायालय ने कहा, "प्रथम दृष्टया, उद्धृत प्रावधानों में से कोई भी वर्तमान मामले में लागू नहीं होता है, मामले के तथ्यात्मक पहलू को ध्यान में रखते हुए, माल की खरीद और उसके परिवहन से संबंधित दस्तावेजों के साथ पढ़ा जाता है और व्यापारी पंजीकृत हैं और वे सूखे सुपारी की खरीद, परिवहन और बिक्री आदि के लिए सभी मानदंडों को पूरा कर रहे हैं।" यह माना गया है कि विश्वास करने का कारण क्या होगा, इसे दर्ज किया जाना चाहिए और 1962 के अधिनियम की धारा 110 के तहत शक्तियों को लागू करने के लिए, जब्ती अधिकारी को लिखित रूप में विश्वास करने का अपना कारण दर्ज करना होगा।

23. विद्वान समन्वय पीठ ने माना कि जब्ती अधिकारी 1962 के अधिनियम के साथ 1992 के अधिनियम के तहत अर्ध-न्यायिक कार्य कर रहा है और यह न्यायिक समीक्षा के लिए उत्तरदायी है, इसलिए, कुछ भौतिक जानकारी को निर्दिष्ट या संदर्भित

नहीं करने में ताकि 'विश्वास करने का कारण' शब्द से संबंध हो, बाद की घटनाएं जैसे कि जब्त सुपारी के कुछ नमूनों को स्थानीय व्यापारियों के अधीन करना और उनकी राय जानना कि जब्त माल संदिग्ध है और यह विदेशी मूल का हो सकता है, ठोस निष्कर्ष के अभाव में विश्वसनीय और स्वीकार्य नहीं होगा कि जब्त सूखी सुपारी विदेशी मूल की है और पुष्टि करने वाले सबूत हैं।

**24. कृष्ण काली ट्रेडर्स (उपरोक्त) के मामले में,** उसी विद्वान समन्वय पीठ ने मामले में अपने **असम सुपारी ट्रेडर्स (उपरोक्त)** के फैसले का हवाला दिया। **असम सुपारी ट्रेडर्स (उपरोक्त)** के मामले में, विद्वत समन्वय पीठ ने दिनांक 02.04.2024 के आपत्तिजनक जब्त ज्ञापन को दरकिनार करते हुए याचिकाकर्ता को जब्त माल की अस्थायी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत गारंटी और बांड से मुक्त कर दिया था। **असम सुपारी ट्रेडर्स (उपरोक्त)** के फैसले में दिया गया तर्क और औचित्य वही है। यह माना गया है कि स्थानीय व्यापारियों की संदिग्ध राय कि जब्त की गई सूखे सुपारी विदेशी मूल के हैं, विश्वसनीय और स्वीकार्य नहीं हैं, दूसरे शब्दों में नंगी आंखों से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि यह भारतीय मूल का है या विदेशी मूल का। विद्वत समन्वय पीठ ने पाया कि उक्त मामले में, माल को *फोरबिशगंज* में जब्त किया गया था। और यह विश्वास बनाने के लिए कि माल भारत में आयात किया जा रहा था, किसी भी बंदरगाह या किसी सीमा शुल्क क्षेत्र से जब्त नहीं किया गया। यह आगे देखा गया कि अन्यथा भी, यह विश्वास बनाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं था कि विचाराधीन माल आयात शुल्क के भुगतान के बिना आयात किया गया था।

**25. कृष्ण काली ट्रेडर्स (उपरोक्त) के मामले में,** वर्ल्डलाइन ट्रेडेक्स पी. लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को संदर्भित किया गया है, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पंचनामा दस्तावेज़ को जब्ती

जापन में नहीं पढ़ा जा सकता है। अदालत को सूचित किया गया कि उक्त मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, सीमा शुल्क विभाग ने एक परिपत्र सं. एफ. सं. 591/04/2016-सी.यू.एस.(एस) दिनांकित 08.02.2017 जारी किया था। उक्त परिपत्र को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:

“निर्देश सं. 01/2017-सीमा शुल्क

**एफ. नं. 591/04/2016-सी.यू.एस. (एस)**

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड

(तस्करी रोधी इकाई)

\*\*\*

नई दिल्ली, दिनांक 8 फरवरी, 2017

को

सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/ मुख्य आयुक्त सीमा शुल्क/सीमा शुल्क (निवारक),

सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सभी प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त

सी. बी. ई. सी. के सभी प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक।

सभी प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क/सीमा शुल्क (पूर्व)।

सभी प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क (अपील)

सभी प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क

सभी प्रधान आयुक्त/आयुक्त सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (अपील)।

**विषय: सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 के तहत आदेश पारित करना।**

महोदया/महोदय,

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 और सीमा शुल्क नियमावली 2015 के अध्याय 15 के पैरा 1.1 पर ध्यान आकर्षित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

2. बोर्ड के संज्ञान में लाया गया है कि कई मामलों में, केवल पंचनामे के तहत क्षेत्र संरचनाओं द्वारा माल को रखा/जब्त किया जा रहा है और माल की जब्ती के लिए अलग-अलग आदेश पारित नहीं किए जा रहे हैं। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल के एक आदेश में कहा है कि पंचनामा पंचों (गवाहों) का बयान है और इसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 के तहत उचित अधिकारी द्वारा पारित आदेश नहीं माना जा सकता है।

3. हालांकि अधिनियम की धारा 110 माल की जब्ती के लिए एक आदेश पारित करने को निर्दिष्ट नहीं करती है। लेकिन इसमें कहा गया है कि जहां ऐसे किसी माल को जब्त करना व्यवहार्य नहीं है, वहां उचित अधिकारी माल के मालिक को एक आदेश दे सकता है कि वह ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुमति के अलावा माल को नहीं हटाएगा, उसके साथ भाग नहीं लेगा या अन्यथा सौदा नहीं करेगा।

4. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, भविष्य के सभी मामलों में, निम्नलिखित का पालन किया जा सकता है :

जब भी सामान जब्त किया जा रहा हो, पंचनामे के अलावा, उचित अधिकारी को एक उचित आदेश (जब्ती ज्ञापन/आदेश आदि) भी पारित करना चाहिए, जिसमें स्पष्ट रूप से यह मानने के कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिए कि माल जब्त करने के लिए उत्तरदायी है।

जहां ऐसे किसी माल को जब्त करना व्यवहार्य नहीं है, वहां उचित अधिकारी माल के मालिक को एक आदेश दे सकता है कि वह ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुमति के अलावा माल को नहीं हटाएगा, उसके साथ भाग नहीं

लेगा या अन्यथा सौदा नहीं करेगा। ऐसे मामलों में, यह तय करने के लिए जांच में तेजी लाई जानी चाहिए कि माल को जब्त किया जाए या उसे उसके मालिक को दिया जाए।

5. इसके अलावा, बोर्ड के ध्यान में लाया गया है कि जिन मामलों में अधिनियम की धारा 110 ए के तहत जब्त किए गए सामान को अस्थायी रूप से छोड़ने की अनुमति है, उनमें कारण दर्शाएँ नोटिस निर्धारित समय अवधि के भीतर इस आधार पर जारी किया गया है कि माल को माल के मालिक को रिहा कर दिया गया है। सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधान स्पष्ट हैं कि इस तथ्य के बावजूद कि क्या माल जब्त किया जाता है या अस्थायी रूप से रिहा किया जाता है, एक बार माल जब्त होने के बाद, अधिनियम की धारा 110 (2) के तहत निर्धारित समय अवधि (विस्तारित समय अवधि सहित) लागू रहेगी और इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

6. मुख्य आयुक्त/महानिदेशकों से अनुरोध किया जाता है वर्तमान दिशानिर्देशों को उनके प्रभार के तहत सभी संरचनाओं में प्रसारित करें। उपरोक्त दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन में कठिनाइयाँ, यदि कोई हों, तो बोर्ड के ध्यान में लाई जा सकती हैं। हिन्दी संस्करण निम्नलिखित है।

(रोहित आनंद)

भारत सरकार के अवर सचिव"

26. विद्वान समन्वय पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि पंचनामे को जब्ती ज़ापन में नहीं पढ़ा जा सकता है। उक्त मामले में, यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि जब्ती ज़ापन और पंचनामा दोनों से पता चलेगा कि यह सबसे पहले जब्ती ज़ापन था जिसे तैयार किया गया है और दूसरा पंचनामा तैयार किया गया है, इसलिए जब्ती ज़ापन लिखते समय, पंचनामा लिखा या अस्तित्व में नहीं था। विद्वत समन्वय पीठ ने स्पष्ट

रूप से कहा कि जब्ती अधिकारी अपने दिमाग में कारणों को नहीं रख सकता है और उसे जब्ती ज़ापन में न्यूनतम कारणों का खुलासा करना होगा।

27. कृष्णा काली ट्रेडर्स (उपरोक्त) के मामले में दिए गए फैसले को पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त मामले में, श्री राजेंद्र सेठिया (उपरोक्त) और संतोष कुमार मुरारका (उपरोक्त) के मामले में समन्वय पीठ के अन्य विद्वान निर्णयों को भारत संघ की ओर से उद्धृत किया गया था। असम सुपारी ट्रेडर्स मामले में दोनों निर्णयों पर गौर किया गया और माना गया कि असम सुपारी ट्रेडर्स' मामले में विद्वान समन्वय पीठ ने मामले के तथ्यात्मक पहलू पर यह भेद किया है कि इस न्यायालय के उद्धृत निर्णय इस कारण से विभेदनीय हैं कि धारा 110 का कोई विश्लेषण नहीं किया गया है। यह माना गया है कि संतोष कुमार मुरारका (उपरोक्त) के मामले में धारा 128 के साथ पठित 1962 के अधिनियम की धारा 110(1-ए) (1-बी) और (1-सी) पर विचार करने का कोई अवसर नहीं था, इसलिए प्रतिवादियों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा उद्धृत उपरोक्त दो निर्णयों पर असम सुपारी ट्रेडर्स (उपरोक्त) में पहले ही गौर किया जा चुका है और उन्हें विभेदित किया गया है।

28. हमने श्री राजेंद्र सेठिया (उपरोक्त) और संतोष कुमार मुरारका (उपरोक्त) के मामले में दिए गए फैसले को भी पढ़ा है। श्री राजेंद्र सेठिया (उपरोक्त) का मामला 1962 के अधिनियम की धारा 130 के तहत विविध अपील के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष आया था। अधिनियम के तहत जब्ती और जुर्माना लगाने का मूल आदेश निर्णायक अधिकारी द्वारा पारित किया गया था, जिसके खिलाफ प्रथम अपीलीय अधिकारी ने मूल अधिकारी के आदेश को उलट दिया और अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील में न्यायाधिकरण ने प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की।

विविध अपील पर सुनवाई करते हुए इस न्यायालय की विद्वान खंडपीठ ने निम्नलिखित शब्दों में विधि का प्रश्न तैयार किया:-

“क्या अपीलीय प्राधिकारी ने मामले के तथ्यों, साक्ष्यों और परिस्थितियों के आधार पर अपने निष्कर्षों में पूरी तरह से गलती की है और कई महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ-साथ उद्धृत निर्णयों को नजरअंदाज करते हुए निष्कर्ष निकाला है?”

29. श्री राजेंद्र सेठिया (उपरोक्त) के मामले में, ओम साईं ट्रेडिंग कंपनी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में 2019 एससीसी ऑनलाइन पेटेंट 2262 और शिव नाथ सिंह बनाम सीआईटी (1972) 3 एससीसी 234 में दर्ज निर्णयों का हवाला दिया गया। विद्वान खंडपीठ ने श्री राजेंद्र सेठिया (उपरोक्त) के मामले को उन मामलों से अलग किया और माना कि ओम साईं ट्रेडिंग कंपनी (उपरोक्त) में यह कथन उस मामले में सामने आने वाले अजीबोगरीब तथ्यों पर आधारित था, (i) माल के स्वामित्व का निर्विवाद होना, (ii) ऐसा कुछ भी नहीं होना जो यह दर्शाता हो कि माल देश के बाहर से मंगाया गया था और (iii) प्रयोगशाला की रिपोर्ट सीमा शुल्क अधिनियम से बाहर थी, जिसके परिणामस्वरूप जब्ती नोटिस को रद्द कर दिया गया, यहां तक कि याचिकाकर्ता को न्यायिक प्रक्रिया में भी नहीं भेजा गया। श्री राजेंद्र सेठिया (उपरोक्त) में, हालांकि, विद्वान खंडपीठ ने पाया कि सरल स्वीकृत तथ्य थे और विभाग द्वारा माल की अवरोधन और पता लगाने पर किए गए मूल्यांकन को देखते हुए, यह पाया गया है कि मूल्यांकन एक सरकारी पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया गया था और यह दोनों सोने की छड़ों पर "वैलकैम्बी सुइस (995) सीएचआई एसेयूर फाउंडर" के निशान को इंगित करता है। उस पर लिखे गए सोने की छड़ों को प्रतिवादी द्वारा अपने कर्मचारी को सौंपा गया माना गया, जो कि अवरोधन करने वाला व्यक्ति था।



24.07.2017 का जब्ती ज़ापन जो डीआरआई क्षेत्रीय इकाई, पटना कार्यालय में तैयार किया गया था, उसमें स्पष्ट रूप से अधिनियम की धारा 7, 46 और 47 के उल्लंघन को विश्वास करने के कारणों के रूप में दर्शाया गया था। इस पृष्ठभूमि में विद्वान खंडपीठ का मानना है कि कथित उल्लंघनों से विश्वास करने का कारण बहुत स्पष्ट है और वर्तमान मामले में देश के बाहर से माल मंगाए जाने को कोई चुनौती नहीं दी जा सकती है, जो कि मात्र दृश्य निरीक्षण से स्पष्ट है।

30. संतोष कुमार मुरारका (उपरोक्त) मामले में, विद्वत समन्वय पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि इस बारे में विवादित मुद्दा था कि क्या वाहन के चालक ने 19.06.2021 को 21:00 बजे प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत किए थे या नहीं। यह पाया गया कि आर. यू. डी.-05 ई-वे बिल रात 09:26 बजे 19.06.2021 पर उत्पन्न किया गया था और जब्ती 09:30 बजे की गई थी। कुछ विसंगतियों को देखते हुए, विद्वान समन्वय पीठ का विचार था कि अनुच्छेद 226 के तहत न्यायालय पक्षों के बीच विवादित मुद्दों की जांच नहीं कर सकता है।

31. हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे सामने जो मामला है वह एक अलग आधार पर खड़ा होगा क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है की जब्ती/निरोध ज़ापन (अनुलग्नक पी/1) के अवलोकन पर कि जब्ती अधिकारी ने विश्वास करने के अपने कारणों को दर्ज नहीं किया है। प्रतिवादी की ओर से कोई विवाद नहीं है कि वाहन के चालक ने चालान और अनुलग्नक-पी2 में निहित दिनांक 25.11.2019 का जी. एस. टी.-ई-वे बिल प्रस्तुत नहीं किया था। जब्ती ज़ापन (अनुलग्नक पी/1) को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः.

### “जब्ती/निरोध ज़ापन

(सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत जब्त/निरोध में लिए गए सामान की प्राप्ति)

|                                                                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| इकाई/वृत्त/प्रभाग का नाम                                          | 1 | सीमा शुल्क (निवारक) प्रभाग, मुजफ्फरपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| जब्ती/निरोध का स्थान                                              | 1 | कार्यालय उपायुक्त, सीमा शुल्क (निवारक) प्रभाग, इमली चट्टी, मुजफ्फरपुर                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| जब्ती/निरोध की तारीख और समय                                       | 1 | 26.11.2019 22:00 बजे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| परिवहन/परिसर/व्यक्तियों का विवरण जिनसे माल बरामद किया गया         | 1 | <p>(1) श्री राधे श्याम (ट्रक संख्या-UP65CT-0573 का चालक, आयु लगभग 52 वर्ष, पिता का नाम -श्री मुसाफिर, गाँव-बरावा खुर्द, थाना-सादत, जिला-गाजीपुर, पिन-275204.</p> <p>(2) श्री शैलंदर कुमार गौतम उर्फ छोदू (ट्रक नं. यूपी65 सीटी-0573)का खलाससी, आयु लगभग 23 वर्ष, पिता का नाम -श्री रामशंकर कुमार गौतम, गाँव-तर्या, थाना-चैबेपुर, जिला-बनारस, यूपी</p> |
| जिन व्यक्तियों को जब्ती/निरोध रसीद जारी की गई है, उनका नाम और पता | 1 | जैसा कि ऊपर बताया गया है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| माल की जब्ती/निरोध के कारण                                        | 1 | सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 7,11,46 और 47; विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 (2) और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय अधिसूचना संख्या 9/96- सी. यू. एस. (एन. टी.) दिनांक 22.01.1996 सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 के तहत जारी किया गया ।                                                                                 |

|                      |   |                            |
|----------------------|---|----------------------------|
| मामला संख्या और तिथि | 1 | 13/2019-20 तिथि 26.11.2019 |
|----------------------|---|----------------------------|

| क्रम सं | वस्तुओं का विवरण                                                                                    | बना /उत्पत्ति         | माल की मात्रा    | मूल्य (रुपये में)                                            |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1       | सुपारी (सुपारी) के कुल 245 थैले (245 थैलों में पैक किए गए जिनमें से प्रत्येक में 78 किलो होते हैं।) | तीसरा देश की उत्पत्ति | 19188 किलो ग्राम | रु.38,37,600/-                                               |
| 3       | ट्रक नं. यूपी65 सीटी-0573 इंजन सं। बी. 591803221 जे. 63288258 चेसिस नं. MAT466388C3J26447           | टाटा ट्रक             | 1(एक) संख्या     | रु.12,00,000/-                                               |
| कुल     |                                                                                                     |                       |                  | रु.50,37,600/-<br>(पचास लाख सैंतीस हजार और केवल छह सौ रुपये) |

गवाहों के हस्ताक्षर अभियुक्त के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप जप्त करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर"

32. हमने ऊपर देखा है कि केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (तस्करी निरोधक इकाई) ने 08 फरवरी, 2017 को निर्देश संख्या 01/2017-सीमा शुल्क जारी किया था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जब भी माल जब्त किया जा रहा हो, पंचनामा के अलावा, सक्षम अधिकारी को एक उचित आदेश (जब्त की जापन/आदेश आदि) भी पारित करना चाहिए, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया हो कि माल जब्त करने योग्य है। इसी निर्देश के पैराग्राफ '5' में कहा गया है कि ऐसे मामलों में जहां पटना उच्च न्यायालय सीडब्ल्यूजेसी संख्या 4918/2021 दिनांक 19-02-2025 26/36 अधिनियम की धारा 110-ए के तहत जब्त माल की अनंतिम रिहाई की अनुमति है, इस आधार पर निर्धारित समय अवधि के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया जा रहा है कि माल को माल के मालिक को छोड़ दिया गया है। यह कहा गया है कि 1962 के अधिनियम के प्रावधान स्पष्ट हैं कि इस तथ्य के बावजूद कि माल जब्त रहता है या अनंतिम रूप से जारी किया जाता है, एक बार माल जब्त होने के बाद, अधिनियम की धारा 110 (2) के तहत निर्धारित समय अवधि (विस्तारित समय अवधि सहित) लागू रहेगी और इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।

33. इस स्तर पर, हम 1962 के अधिनियम की धारा 110 (2) को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत करते हैं:

(2) जहां कोई माल उप-धारा (1) के तहत जब्त किया जाता है और माल की जब्त के छह महीने के भीतर धारा 124 के खंड

(ए) के तहत उसके संबंध में कोई सूचना नहीं दी जाती है, तो माल उस व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा जिसके कब्जे से उन्हें जब्त किया गया था:

<sup>2</sup>[बशर्ते कि सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, ऐसी अवधि छह महीने तक की अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं और इस प्रकार निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले उस व्यक्ति को सूचित करें जिससे इस तरह का सामान जब्त किया गया था:बशर्ते कि जहां जब्त माल की अस्थायी रिहाई के लिए कोई आदेश धारा 110 ए के तहत पारित किया गया है, वहां छह महीने की निर्दिष्ट अवधि लागू नहीं होगी।]

34. धारा 110 की उप-धारा (2) के केवल अवलोकन से पता चलेगा कि जहां उप-धारा (1) के तहत कोई माल जब्त किया जाता है और माल की जब्ती के छह महीने के भीतर धारा 124 के खंड (ए) के तहत उसके संबंध में कोई सूचना नहीं दी जाती है, तो माल उस व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा जिसके कब्जे से उन्हें जब्त किया गया था। इस स्तर पर, 1962 के अधिनियम की धारा 124 के खंड (ए) के अवलोकन से पता चलेगा कि यह एक नकारात्मक वाचा के साथ शुरू होता है और निम्नानुसार है:

“124. (क) को <sup>3</sup>[सीमा शुल्क अधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ लिखित रूप से जो <sup>4</sup>[सीमा शुल्क के एक सहायक आयुक्त] के रैंक से कम नहीं है] एक नोटिस दिया

जाता है, उसे उन आधारों के बारे में सूचित करता है जिन पर माल को जब्त करने या जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है;

35. अधिनियम, 1962 की धारा 110 की उपधारा (2) और धारा 124 के खंड (क) को संयुक्त रूप से पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि जहां धारा 110 की उपधारा (1) के अंतर्गत जब्त माल के संबंध में, माल की जब्ती के छह महीने के भीतर या धारा 110 की उपधारा (2) के प्रथम परंतुक के अंतर्गत विस्तारित अवधि के भीतर धारा 124 के खंड (क) के अंतर्गत कोई सूचना नहीं दी जाती है, वहां माल उस व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा जिसके कब्जे से उसे जब्त किया गया था। माल की जब्ती के छह महीने के भीतर धारा 124 के खंड (क) के अंतर्गत सूचना न देने का प्रभाव धारा 110 की उपधारा (2) के अंतर्गत निर्धारित है और इसके अनुसार, परिणाम यह होगा कि माल उस व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा जिसके कब्जे से उसे जब्त किया गया था।

36. इस मामले में, माना जाता है कि माल को 16.06.2020 को अनंतिम रूप से जारी किया गया है, यानी छह महीने की अवधि के बाद, दो बार इस अवधि को तीन महीने के लिए बढ़ाया गया है। यह इस बिंदु पर है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने चरण दास मल्होत्रा (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। यह निर्णय वर्ष 1983 में दिया गया था, इसलिए, यह धारा 110 के तत्कालीन विद्यमान प्रावधान को संदर्भित करता है। उक्त मामले में, यह पैराग्राफ '12' में निम्नानुसार माना गया है:-

“12. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि धारा 110 की दूसरी उपधारा का प्रावधान किसी प्रकार की जांच की परिकल्पना करता है। कलेक्टर से, जाहिर है, यह अपेक्षा की

जाती है कि वह यांत्रिक रूप से या नियमित रूप से विस्तार आदेश पारित न करें, बल्कि केवल इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसे तथ्य मौजूद हैं जो इंगित करते हैं कि धारा 110(2) में निर्धारित समय के भीतर सद्भावनापूर्ण कारणों से जांच पूरी नहीं की जा सकी, और इसलिए, उस अवधि का विस्तार आवश्यक हो गया है। इसलिए, वह समय नहीं बढ़ा सकते जब तक कि वह अपने सामने रखे गए तथ्यों से संतुष्ट न हो जाए कि पर्याप्त सबूत हैं विस्तार की आवश्यकता वाले कारण। ऐसी जांच में सबूत का बोझ स्पष्ट रूप से विस्तार के लिए आवेदन करने वाले सीमा शुल्क अधिकारी पर है, न कि उस व्यक्ति पर जिससे माल जब्त किया गया है।

37. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कलेक्टर को सौंपे गए और प्रदान किए गए ऐसे कार्य और शक्ति की प्रकृति पर विचार किया है। यह देखा गया है कि जहां धारा 110 की उपधारा (1) सीमा शुल्क अधिकारी को माल जब्त करने में सक्षम बनाने के लिए "विश्वास करने का कारण" अभिव्यक्ति का उपयोग करती है, वहीं उपधारा (2) की परंतुक "पर्याप्त कारण दिखाया जा रहा है" अभिव्यक्ति का उपयोग करती है। इस प्रावधान के आलोक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह देखा जाएगा कि उपधारा (1) जब्ती के चरण में जांच की परिकल्पना नहीं करती है, एकमात्र आवश्यकता संबंधित अधिकारी की संतुष्टि है कि यह मानने के कारण हैं कि माल उनके अवैध आयात के कारण जब्त करने योग्य है, फिर भी एस नारायणप्पा और अन्य बनाम आयकर आयुक्त, बेंगलूर ने एआईआर 1967 एससी 523 में जो रिपोर्ट दी है, में निर्धारित ऐसी संतुष्टि वह पूरी तरह से व्यक्तिपरक नहीं है, क्योंकि उनके विश्वास के कारण प्रासंगिक होने चाहिए और बाहरी नहीं। यह माना गया कि विधानसभा कलेक्टर

को समय बढ़ाने की शक्ति देते समय उसी भाषा का उपयोग करने के लिए तैयार नहीं थी और जानबूझकर "पर्याप्त कारण दिखाया जा रहा है" अभिव्यक्ति का उपयोग किया। यह माना गया है कि "पर्याप्त कारण दिखाया जा रहा है" शब्दों का अर्थ यह होना चाहिए कि कलेक्टर को उनके सामने रखी गई सामग्रियों के आधार पर यह निर्धारित करना चाहिए कि वे समय के विस्तार को उचित ठहराते हैं, जहां कोई आदेश शक्ति के सद्भावपूर्ण प्रयोग में और अधिनियम के प्रावधानों के भीतर दिया जाता है, जो ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं, आदेश निस्संदेह न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप से मुक्त है, और इसलिए, दिखाए गए कारण की पर्याप्तता ऐसे हस्तक्षेप का आधार नहीं हो सकती है, लेकिन साथ ही इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि कलेक्टर द्वारा जांच तथ्यों के आधार पर की जानी चाहिए, जो उनके सामने रखी गई सामग्री है। **चरण दास मल्होत्रा** (उपरोक्त) के मामले में निर्णय के पैराग्राफ '15' में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की है:-

"15. लेकिन यह कहा जा सकता है कि उन दोनों मामलों में एक नागरिक अधिकार शामिल था और शक्ति, पटना उच्च न्यायालय सीडब्ल्यूजेसी संख्या 4918 2021 दिनांक 19-02-2025 31/36 इसलिए, अर्ध-न्यायिक माना जाना था। लेकिन वर्तमान मामले में भी, जब्त माल की वापसी का अधिकार एक नागरिक अधिकार है जो शुरुआती छह महीने की समाप्ति पर अर्जित होता है और जो विस्तार दिए जाने पर पराजित हो जाता है, भले ही ऐसा विस्तार जब्ती की तारीख से एक वर्ष के भीतर संभव हो। चूंकि कलेक्टर के पास पर्याप्त कारण के अस्तित्व पर निर्णय लेने के लिए तथ्य हैं, हालांकि उनके सामने सामग्री की पर्याप्तता के बारे में उनका निर्णय उनके अनन्य



अधिकार क्षेत्र में हो सकता है, फिर भी इसे समझना मुश्किल है। वह अपने निर्णय पर कैसे पहुंच सकता है जब तक कि, जैसा कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा है, उसके सामने प्रश्न के पक्ष और विपक्ष न हों। कलेक्टर द्वारा एकपक्षीय निर्णय उसके निर्णय को एकतरफा और शायद तथ्यों के गलत विवरण पर आधारित साबित करेगा। फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि उसका यह निर्णय कि पर्याप्त कारण मौजूद है, न्यायसंगत और उचित है यदि उसके सामने एकतरफा तस्वीर है और उसे जांचने का कोई साधन नहीं है जब तक कि दूसरे पक्ष को उसे सही करने या उसका खंडन करने का अवसर न हो। पहली उपधारा और उपधारा (2) के परंतुक में प्रयुक्त भाषा में अंतर इस तर्क को समर्थन देता है कि एक मामले में शक्ति व्यक्तिपरक हो सकती है और इसलिए जांच की आवश्यकता नहीं है, और दूसरे में शक्ति एक है, जिसके प्रयोग के लिए कलेक्टर के समक्ष उसके निर्णय के लिए रखी गई सामग्री की जांच आवश्यक है। हमारे विचार में, इन विचारों से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाना चाहिए, जिससे माल जब्त किया गया है।”

38. चूंकि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने निर्णय के पैराग्राफ '15' पर बहुत जोर दिया है, इसलिए हमने इसे ऊपर दर्ज किया है, लेकिन हमें यह जोड़ना होगा कि 1962 के अधिनियम की धारा 110 की उपधारा (2) का प्रावधान, जो **चरण दास मल्होत्रा** (उपरोक्त) के समय मौजूद था, को 2018 के अधिनियम 13 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। संशोधित प्रावधान ने केवल सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त पर छह महीने की अवधि को छह महीने से अधिक नहीं की अवधि के

लिए लिखित रूप में कारणों को रिकॉर्ड करने और उस व्यक्ति को सूचित करने का कर्तव्य डाला, जिससे ऐसा माल जब्त किया गया था, इस प्रकार निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले। इस प्रकार, इस न्यायालय को, यह प्रतीत होता है कि उप-धारा (2) के प्रावधान के तहत, उस व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने की कोई योजना नहीं है, जिससे माल जब्त किया गया था। केवल इतना ही आवश्यक है कि लिखित में कारण दर्ज किए जाएं और निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले उस व्यक्ति को सूचित किया जाए जिससे ऐसा माल जब्त किया गया था। रिट याचिका मामले के इस पहलू पर अधिक प्रकाश नहीं डालती है

39. हमारी यह सुविचारित राय है कि याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील का एक और निवेदन कि इस मामले में, धारा 124 के खंड (ए) के तहत माल की जब्ती के छह महीने की अवधि से अधिक और विस्तारित अवधि के भीतर नोटिस नहीं दिया जा सकता था स्वीकार नहीं किया जा सकता है और उक्त तर्क विफल होने के लिए उत्तरदायी है।

40. इस स्तर पर, हम सिविल अपील संख्या (उल्लेख नहीं किया गया) 2022 (एसएलपी संख्या 11124/2021 से उत्पन्न) और अन्य समरूप मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 15 सितंबर, 2022 के आदेश से पाते हैं कि भारत संघ ने ओम साईं ट्रेडिंग कंपनी (उपरोक्त) और इसी तरह की प्रकृति के अन्य मामलों में इस न्यायालय की माननीय खंडपीठ के आदेश को रद्द करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन किया था, जिसमें इस न्यायालय ने जब्ती ज्ञापन को रद्द करने की कृपा की थी। एसएलपी का निपटारा करते हुए, 15 सितंबर, 2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश इस प्रकार है:-

“1. अनुमति दी गई।

2. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए, और चूंकि माल पहले ही रिहा कर दिया गया है, हम जब्ती ज़ापन को रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। हालांकि, हम स्पष्ट करते हैं कि जब्ती ज़ापन को रद्द करने का मतलब यह नहीं है कि अपीलकर्ता जांच नहीं कर सकते हैं, और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत कानून के अनुसार आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ..”

41. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को पढ़ने से ही यह स्पष्ट है कि यह इस न्यायालय की खंडपीठ के निर्णयों के विरुद्ध अनुमति प्रदान करने के पश्चात पारित किया गया था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 'विलय' का सिद्धांत लागू होगा। जब्ती ज़ापन को रद्द करने के बावजूद यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता 1962 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत कानून के अनुसार जांच और कार्यवाही नहीं कर सकते।

42. उपरोक्त चर्चाओं के आलोक में, जब हम जब्ती ज़ापन (अनुलग्नक पी1) की जांच करते हैं, तो यह पाया जाता है कि जब्ती अधिकारी ने 1962 के अधिनियम की धारा 110 की उप-धारा (1) के अधिदेश का पालन नहीं किया है। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ल्डलाइन ट्रेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड (उपरोक्त) में कहा है कि स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 110 के तहत जब्ती की शक्ति का प्रयोग स्पष्ट रूप से वैध कारणों के लिए किया जाना चाहिए। उचित अधिकारी को यह विश्वास करने के लिए अपने कारणों को दर्ज करना होता है कि वह जिन वस्तुओं को जब्त करने का प्रस्ताव करता है, वे जब्त किए जाने योग्य हैं। अभिग्रहण से पहले शक्ति के प्रयोग के कथित कारणों को दर्ज करना होगा। विभाग द्वारा जारी बाद के निर्देश

में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पंचनामे के अलावा विश्वास करने का कारण जब्ती ज़ापन/आदेश में इंगित किया जाना चाहिए।

43. हम अभिलेखों से पाते हैं कि वर्तमान मामले में, जब्ती सूची के अलावा, जब्ती अधिकारी का कोई अन्य आदेश नहीं है जो विश्वास करने का कारण दर्शाता हो। असम सुपारी ट्रेडर्स (उपरोक्त) और कृष्णा काली ट्रेडर्स (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की विद्वान समन्वय पीठ ने माना है कि जब्ती ज़ापन में 1962 के अधिनियम की धाराओं का उल्लेख मात्र 'विश्वास करने के कारण' से संबंधित भौतिक जानकारी के अभाव में पर्याप्त नहीं होगा। हम विद्वान समन्वय पीठ के उक्त दृष्टिकोण से सहमत हैं। हमें बार में बताया गया है कि असम सुपारी ट्रेडर्स (उपरोक्त) और कृष्णा काली ट्रेडर्स (उपरोक्त) ने अंतिम निर्णय प्राप्त कर लिया है क्योंकि इन निर्णयों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी गई है।

44. परिणामस्वरूप, जब्ती ज़ापन (अनुलग्नक पी1) को रद्द किया जाता है। जहां तक रिट याचिका के अनुलग्नक पी7 में निहित कारण बताओ नोटिस का संबंध है, हम कारण बताओ नोटिस में हस्तक्षेप करने से बचते हैं। हमने पहले ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को दर्ज कर लिया है जिसमें यह माना गया है कि जब्ती ज़ापन को रद्द करने का मतलब यह नहीं है कि अपीलकर्ता 1962 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत कानून के अनुसार जांच और आगे नहीं बढ़ सकते हैं। याचिकाकर्ता, यदि ऐसा सलाह दी जाती है, तो कारण बताओ नोटिस पर अपना जवाब प्रस्तुत कर सकता है। याचिकाकर्ता के लिए आज से छह सप्ताह के भीतर कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करना खुला है, जिसके बाद न्यायनिर्णायक अधिकारी 1962 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत उचित आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ेगा।

45. कारण बताओ नोटिस जारी करने और जब्ती ज़ापन (अनुलग्नक पी1) को रद्द करने के प्रभाव के संबंध में सभी प्रश्न खुले रहेंगे।

46. यह रिट आवेदन ऊपर बताई गई सीमा तक स्वीकार किया जाता है।

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायमूर्ति)

में सहमत हूँ।

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

लेखी/-

11. उप.2019 के अधिनियम 23, धारा 74 (i) द्वारा, परंतुक के लिए। इसके प्रतिस्थापन से पहले, परंतुक निम्नानुसार पढ़ा जाता है:- "बशर्ते कि जहां ऐसे किसी माल को जब्त करना व्यवहार्य नहीं है, वहां उचित अधिकारी माल के मालिक को एक आदेश दे सकता है कि वह ऐसे अधिकारी की पूर्व अनुमति के अलावा माल को नहीं हटाएगा, उसके साथ भाग नहीं लेगा या अन्यथा सौदा नहीं करेगा।"

1. 1973 के अधिनियम 36, धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित, उप-धारा (1) (1-9-1973 से)

2. 1989 के अधिनियम 40, धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित, "हीरे, सोने या हीरे के निर्माताओं" के स्थान पर।

3. "लिखित सूचना" के लिए 2006 के अधिनियम 29, धारा 28 द्वारा प्रतिस्थापित (डब्ल्यू. ई. एफ. 13-7-2006)।

4. 2011 के अधिनियम 8, धारा 49 द्वारा "सीमा शुल्क उपायुक्त" के लिए प्रतिस्थापित।

1. 2018 के अधिनियम 13, धारा 94 द्वारा अंतःस्थापित।

2. 2018 के अधिनियम 13, धारा 92 द्वारा परंतुक के लिए प्रतिस्थापित। इसके प्रतिस्थापन से पहले, प्रावधानों को निम्नानुसार पढ़ा जाता है:- "बशर्ते कि छह महीने की उपरोक्त अवधि, पर्याप्त कारण दिखाए जाने पर, [सीमा शुल्क के प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त] द्वारा छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बढ़ाई जा सकती है।"
3. "लिखित सूचना" के लिए 2006 के अधिनियम 29, धारा 28 द्वारा प्रतिस्थापित (डब्ल्यू. ई. एफ. 13-7-2006)
4. 2011 के अधिनियम 8, धारा 49 द्वारा "सीमा शुल्क उपायुक्त" के लिए प्रतिस्थापित।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।